निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–31/20
दायरा दिनांक :–14.07.2020
निर्णय दिनांक :– 31.10.2022

उनवान

1. विरेन्द्र पुत्र सीताराम यादव जाति अहिर
2. विनोद पुत्र सीताराम यादव जाति अहिर निवासीगण दौलतपुरा तहसील बारां जिला बारां

–प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत इकलेरा जर्ये सरपंच/सचिव तहसील बारां जिला बारां
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट
निर्णय दिनांक :– 31.10.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज एड0 – वादी
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी एड0 – प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 ए0 विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। ग्रामजिसमें कामयाबी की पूर्ण आशा है। वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील बारां की आराजी ख0न0 2 रकबा 1.54 खसरा नं0 278 रकबा 0.05 है0 खसरा नं0 285 रकबा 0.96 है0 कुल 3 किता रकबा 2.55 है0 अवस्थित है जो विवादित आराजियात है। वर्तमान में ग्राम पचांयत पूर्णदेह के नाम से दर्ज है। विवादित आराजियात के साबिक ख0न0 मुताबिक प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2015–24 साबिक ख0न0 2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 167 रकबा 6 बीघा 3 बीस्वा, के नये खसरा नं0 2 रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा व खसरा नं0 327 रकबा 6 बीघा 3 बीस्वा बने तथा इसी प्रकार मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57 में साबिक खसरा नं0 2 रकबा 9 बीघा 10 बीस्वा के हाल रकबा 1.54 है0 तथा साबिक खसरा नं0 167 के हाल नं0 167 मिन खसरा नं0 285 रकबा रकबा 0.05 है0 तथा खसरा नं0 167 मिन खसरा नं0 0.96 है0 कायम हुये। विवादित आराजीयात आर टी एक्ट लागू होने से पूर्व (5–10–1955 से पूर्व) सम्वत् 1981 में माफी चाकरी खेळ भरने ग्यारस्या बेटा नैनू चमार बासगांव को खातेदारी में दी थी परन्तु उक्त आराजियात ग्यारस्या को खातेदारी दिये जाने से पूर्व ही प्रार्थीगण के पूर्वजों का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त था तथा सम्वत् 1981 अतः सन् 1925 में प्रार्थीगण के दादा अमरलाल का नाम जैली के रूप में दर्ज था तथा उसके पश्चात सम्वत् 2012–15 की जमाबंदी में कब्जा समस्त गांव

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

तथा जेली के रूप में प्रार्थीगण के पिता सीताराम का नाम दर्ज है इस प्रकार सम्मत 1981 से लगातार उक्त आराजियात पर प्रार्थीगणों के पूर्वजों का तथा उनके पश्चात प्रार्थीगण का कब्जा उक्त आराजी पर बदस्तूर बिना रोक टोक लगातार चला आ रहा है उक्त आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने के लिए प्रार्थीगण द्वारा कानूनी बाध्यता होने से ग्राम पंचायत को वैधानिक नोटिस जर्ये अधिवक्ता जारी किया जो दिनांक 19–6–2020 को जारी किया गया है। उक्त नोटिस की प्राप्ति के बाद ग्राम पंचायत द्वारा दुर्भावना व द्वेषता पूर्वक प्रार्थी विरेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम यादव को दिनांक 23–6–2020 को अतिक्रमण का नोटिस जारी किया जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 30–6–2020 को दिया जा चुका है।

प्रार्थीगण का उक्त आराजियात पर सम्वत् 1981 से पूर्व से ही उनके पूर्वजो का तथा उनके बाद वादीगण /प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु ग्राम पंचायत इकलेरा अब द्वेषतापूर्ण कार्यवाही कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत इकलेरा तथा जिला कलेक्टर महोदय बारां को नोटिस प्रेषित किया जा चुका है परन्तु कानूनी बाध्यता होने से तथा मियाद पूरी नहीं होने से प्रार्थीगण अभी उक्त आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने के लिए हक घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं कर पा रहे है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक तरीके से प्रार्थीगण को बेदखल करने का षडयन्त्र किया जा रहा है इस कारण माननीय न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यो पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मूल्याकंन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम दौलतपुरा सम्वत् 2071–74 खाता सं. 220, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–56 ग्राम दौलतपुरा नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम दौलतपुरा सम्वत् 2015–24, नकल खतौनी बन्दोबस्त सन् 1981, नकल जमाबन्दी ग्राम दौलतपुरा सम्वत् 2012–15 खाता सं. 69, नकल जमाबन्दी ग्रम दौलतपुरा सम्वत् 2055–58 खाता सं0 54, नकल जमाबंदी ग्राम दौलतपुरा सम्वत् 2051–54 पेश की गई। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण, दिनांक 22.09.20 का नायब तहसीलदार का मौका पर्चा, तहसीलदार बारां का दिनांक 17.09.20 का आदेश, ग्राम पंचायत इकलेरा का मौका रिपोर्ट, नकल निलामी सूची तथा मौका रिपोर्ट मुनाफा काश्त पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम दौलतपुरा में स्थित है। उक्त विवादित आराजी पिछले कई वर्षों से हमारे कब्जे में है। हमने ग्राम पचांयत को नोटिस दिया, ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

पचांयत द्वारा हमें बेदखली का नोटिस दे दिया, ग्राम पंचायत द्वारा हमें बेदखल कर दिया गया। तथा ग्राम पंचायत द्वारा बोली लगा दी, विवादित भूमि पर सन् 1981 से हमारा कब्जा चला आ रहा है उसी भूमि की घोषणा के लिए आये है। पुराना रिकार्ड भी हमारे पक्ष में है भूमि पर पुनः हमे कब्जा दिलाया जावे। भूमि का गलत इन्दाज हो गया है गलत इन्दाज से ग्राम पंचायत कैसे मालिक हो सकती है आर टी एक्ट लागू होने से पूर्व दिनांक 5.10.1955 से पूर्व सम्वत 1981 में माफी चाकरी खेळ भरने ग्यारस्या बेटा नेनू चमार बास गावं को खातेदारी दिये जाने से पूर्व ही प्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त था। प्रार्थी के दादा अमरलाल का नाम सम्वत 1981 एवं सन् 1925 से बाली के रूप में दर्ज था। तिज्ञा सम्वत 2012–15 की जमाबंदी मे प्रार्थी के पिता सीताराम का नाम जैली दर्ज हुआ। तब से लगातार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे की प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि हमारे रिकार्ड में दर्ज थी। खेळ भरायी के काम से लेते थे। वादिया की पत्नी संरपंच थी जब इन्होंने नाम दर्ज करवाया था भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा मुनाफे से जुपाया है प्रार्थी द्वारा फिर कब्जा कर लिया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल कर दियास तथा नीलामी बोली लगवाई। प्रार्थी भूमि का अतिकमी है इनको दावा करने का काई अधिकार नहीं है। यह स्थगन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रर्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम दौलतपुरा सम्वत 2071–74 खाता सं0 220 में माफी चाकरी खेळ भरायी ग्राम पंचायत के नाम दर्ज रिकार्ड है नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 198 में ग्यारस्या पुत्र नैनू जात चमार का नाम दर्ज था। तथा दिनांक 8.5. 1919 से ग्यारस्या के नाम का दाखिला खारिज मंजूर हुआ नामा. सं. 387 है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2012–15 में माफी चाकरी खेळ कब्जा समस्त गांव का दर्ज था परन्तु मि0 नं0 287 इन्तकाल नं. 2 दिनांक 20.8.1919 एवं नामा. सं. 52 दिनांक 9.2.1927 से समस्त गांव के नाम बहाल दाखिल खारिज मंजूर होना दर्ज ळै इससे यह तथ्य सामने आते है कि समस्त गांव का दाखिल खारिज किया जा चुका था। नकल जमाबन्दी ग्राम जमाबंदी ग्राम दौलतपुरा सम्वत 2055–58 में माफी चाकरी खेळ भरायी समस्त ग्राम पंचायत दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम दौलतपुरा सम्वत 2051–54 के अनुसार माफी चाकरी समस्त ग्राम पंचायत दर्ज है परन्तु सम्वत 2012–15 की नकल जमाबंदी में जैली सीताराम, नन्दकिशोर दर्ज है इससे इससे यहसाबित होता है कि जैली के रूप में प्रार्थीगण के दादाओं द्वारा भूमि काश्त की है। इसलिए विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का का जैली काश्त के आधार पर कब्जा साबित होता है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
वाराँ

Scanned with CamScanner

कियात्मक आदेश।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम दौलतपुरा के ख. नं. 2 रकबा 1.54 है0 ख0 न0 278 रकबा 0.05 है0 खं0 नं0 285 रकबा 0.96 है0 पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखल अन्दाजी नहीं करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner